

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं० ल०सिं०/(उ०स०को०) गो०- 61/2006

/पटना,दिनांक-

प्रेषक,

संजय कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

विषय:- श्री राम नरेश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं अन्य के विरुद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 3765, दिनांक- 28.06.12, पत्रांक- 4579 दिनांक- 29.08.2012, पत्रांक- 5508 दिनांक- 25.10.12, पत्रांक 264 दिनांक- 16.01.13 सचिव महोदय का अर्द्ध सरकारी पत्रांक 1181 दिनांक 26.02.13 पत्रांक 6665 दिनांक 13.12.13 एवं पत्रांक 1835 दिनांक 25.4.14

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया निदेश किया जाय। इतने स्मारों के बावजूद आपके द्वारा अबतक वांछित मंतव्य अप्राप्त है।

इतने स्मारों के पश्चात आपके द्वारा वांछित मंतव्य उपलब्ध नहीं कराया जाना सरकारी कार्यों के विरुद्ध अनुशासनहीनता का द्योतक है। क्यों नहीं इस लापरवाही के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाय।

विदित हो कि वांछित मंतव्य के अभाव में श्री रामरनेश प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त का सेवान्त लाभ का मामला लंबित चला आ रहा है, जिसकी विलम्ब की सारी जवाबदेही आपकी होगी।

अतः निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर मांगी गई वांछित मंतव्य से विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाय ताकि विभागीय कार्यवाही मामलों का निष्पादन हो सके।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग ।


ज्ञापक-

2052

/पटना,दिनांक- १५.१५

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी जनशिकायत कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना शाखा-I) आईटीएमनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी


१५/१५

